



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179780

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8290 वर्ष 2026

राजकुमार दुबे

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : रविकांत शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने दिनांक 13.08.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त देवेंद्र प्रकाश तिवारी के मामले के समान स्थिति में है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा एनएबेल संख्या 4061 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

2. विद्वान ए.जी.ए. ने कहा है कि उन्हें निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्होंने अल्प अवधि का समय प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है।

3. विद्वान ए.जी.ए. को निर्देश प्राप्त करने हेतु दस दिनों का समय प्रदान किया जाता है।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सह-अभियुक्त देवेंद्र प्रकाश तिवारी के साथ समानता का दावा करता है, अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

5. दिनांक 25.08.2026 को अपराहन 2 बजे नवीन रूप से सूचीबद्ध किया जाए।

6. दिनांक 25.08.2026 तक, थाना छावनी, जनपद कानपुर नगर में धारा 409, 467, 468, 471, 120-बी आई.पी.सी. के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 50 सन् 2017 में सम्मिलित आवेदक-राजकुमार दुबे की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;



ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

7. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।”

2. आज जब वाद पुकारा गया, तब विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक धेनु ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का निदेशक था और उसने वर्ष 2015 में त्यागपत्र दे दिया था। आरोप कंपनी से संबंधित 65 करोड़ रुपये के गबन का है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अपराध वर्ष 2016 और 2017 के मध्य किया गया था, अर्थात् कंपनी से आवेदक के त्यागपत्र देने के पश्चात्। आवेदक का चार अन्य मामलों का आपराधिक पूर्ववृत्त है, जिनमें से तीन मामले वर्तमान मामले में सम्मिलित उन्हीं तथ्यों एवं परिस्थितियों से संबंधित हैं और एक पूर्व मामले, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 521 सन् 2009, जो आवेदक के विरुद्ध दर्शाया गया है, में आवेदक जमानत पर है। सह-अभियुक्त देवेन्द्र प्रकाश तिवारी को इस न्यायालय द्वारा एनएबेल संख्या 4061 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने आवेदक द्वारा अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त देवेंद्र प्रकाश तिवारी के विरुद्ध भी समान आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। आवेदक ने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त का विधिवत स्पष्टीकरण दिया है। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, आवेदक के फरार होने का जोखिम नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2017, अर्थात् 03.04.2017 को दर्ज की गई थी और विगत नौ वर्षों से जांच लंबित है। इस न्यायालय के आदेश के अंतर्गत आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत का उल्लंघन किए जाने का आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, मैं आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूं। उपर्युक्त चर्चा के अनुसार मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

9. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की एतद्वारा पुष्टि की जाती है। उपर्युक्त उल्लिखित मामले में आवेदक- **राजकुमार दुबे** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे दिनांक 13.08.2026 के पूर्व आदेश में निर्धारित उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन से की गई हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

कुशल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।